फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

24

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) नागेश्वर ठाकुर पिता स्व0 रोहराई ठाकुर, (2.) प्रसाद ठाकुर, (3.) सहदेव ठाकुर दोनों के पिता स्व0 खेदन ठाकुर, (4.) गसोमात तिलचा पति स्व0 नारायण ठाकुर, (5.) सिकन्दर ठाकुर, (6.) बालेश्वर ठाकुर दोनों के पिता स्व0 जगदीश ठाकुर, (7.) गसोमात परचा पति स्व0 बालदेव ठाकुर, निवास स्थान नयाखाप टोला मुकुन्दगंज, पोस्ट-बभनवै, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं0-253, खाता संख्या-32 प्लॉट संख्या-439 रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि (1.) विजय ठाकुर पिता प्रयाग ठाकुर एवं (2.) संजय कुमार ठाकुर पिता प्रयाग ठाकुर, निवास स्थान नयाखाप टोला मुकुन्दगंज, पोस्ट-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-539/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3011/रा0 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2375 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत बन्धन हजाम वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.92 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.8450 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या 118/I पर ऑनलाईन में बन्धन हजाम वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत् है। आवेदक संख्या 01, 02, 03, 05, 06 के दादा वगै0 तथा आवेदक संख्या 04 एवं 07 के दादा ससुर वगै0 जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	2
1	

कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 2.7850 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को हरा रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) नागेश्वर ठाकुर पिता स्व0 सोहराई ठाकुर, (2.) प्रसाद ठाकुर, (3.) सहदेव ठाकुर दोनों के पिता स्व0 खेदन ठाकुर, (4.) मसोमात तिलवा पति स्व0 नारायण ठाकुर, (5.) सिकन्दर ठाकुर, (6.) बालेश्वर ठाकुर दोनों के पिता स्व0 जगदीश ठाकुर, (7.) मसोमात परवा पति स्व0 बालदेव ठाकुर, निवास स्थान नखाखाप टोला मुकुन्दगंज, पोस्ट-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं0-253, खाता संख्या-32 प्लॉट संख्या-439 रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि (1.) विजय ठाकुर पिता प्रयाग ठाकुर एवं (2.) संजय कुमार ठाकुर पिता प्रयाग ठाकुर, निवास स्थान नयाखाप टोला मुकुन्दगंज, पोस्ट-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27/4/24 — अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

27/4/24 — अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by SANTOSH RAJBANSH SINGH
Date: 2024.04.29 15:32:15 +05:30
Location: 192.168.1.9